न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 02/2020

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सहीराम पुत्र खानूराम 2. भूरी बेवा मोहनराम 3. विकास पुत्र मोहनराम 4. सुनील पुत्र मोहनराम (सभी जाति विश्नोई, तह0 फलौदी, वर्तमान तहसील लोहावट, जोधपुर)		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी, वर्तमान लोहावट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर फलौदी दिनांक 15.07.2016 राजस्व प्रथम अपील संख्या 04/2013 अनवान सहीराम बनाम तहसील फलौदी वगैरा

उपस्थित–

1. श्री ओमप्रकाश राठी, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने अपर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 04/2013 अनवान सहीराम बनाम तहसीलदार फलौदी में पारित आदेश दिनांक 15.7.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील फलौदी स्थित ग्राम लोहावट विश्नावास के खसरा नं0 137 की भूमि विष्णु गोपाल पुत्र किसनाराम विश्नोई सा0देह खातेदार के नाम दर्ज थी, जो पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 25.4.79 के आधार पर मोहनराम व सहीराम पि0 खानूराम के नाम जरिये नामातरकरण सं0 1524 दर्ज की गई। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.9.92 को उक्त भूमि का ना0क0सं0 1529 भरकर भू.अ.निरीक्षक के समक्ष जांच हेतु पेश किया गया, जिसमें भू.अ.निरीक्षक द्वारा टिप्पणी अंकित की गई कि ''माननीय न्यायालय का आदेश विष्णुगोपाल पुत्र कृष्णचंद

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विश्नोई का खसरा नं0 137 की भूमि राज्य सरकार ने जब्त करने का आदेश दिया है, जबकि उक्त खसरा विष्णुगोपाल द्वारा पूर्व में ही मोहनराम, सहीराम पि0 खानूराम को बेची जा चुकी है।'' जिस पर तहसीलदार फलौदी द्वारा उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम नामान्तरित कर नामान्तरकरण सं0 1529 स्वीकृत कर दिया गया। उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध अपीलांट्स–सहीराम वगैरा द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील सं0 04/2013 में पारित निर्णय दिनांक 15.7.16 द्वारा खारिज कर, अपीलाधीन ना0क0सं0 1529 यथावत रखा गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट सहीराम व अपीलांट सं0 2 से 4 के पिता स्व0 मोहनराम पुत्र खानूराम विश्नोई ने ग्राम विश्नावास लोहावट के खसरा नं0 137 रकबा 31.02 बीघा भूमि पूर्व खातेदार विष्णुगोपाल पुत्र किसनचंद उर्फ किसनलाल विश्नोई से दिनांक 15.4.79 को प्रतिफल देकर खरीद की गई, जिसके आधार पर ना.क.सं. 1524 दिनांक 14.11.91 तहसीलदार फलौदी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। वक्त खरीद के बाद उक्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त व ढाणी, मकान का उपभोग बिना रोक–टोक चला आ रहा है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.9.92 को उक्त भूमि का ना0क0सं0 1529 भरकर जांच हेतु भू.अ.निरीक्षक को पेश किया तथा मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अंकित टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार फलौदी द्वारा इसे स्वीकृत कर दिया गया। उपरोक्त ना0क0 भरने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर वास्तविक व भौतिक कब्जा काश्त खातेदार को नोटिस एवं सूचना नही दी गई तथा बिना मौका मुआयना अपीलांट्स की खातेदारी को हटाते हुए राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। अपीलांट्स को इसकी प्रथम जानकारी कृषि ऋण वास्ते दिनांक 25.1.13 को होने पर नकल प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्याद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के अपील प्रस्तुत की गई। जो

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 21.2.13 को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किए गये व रेकर्ड तलब किया गया। दिनांक 15.7.16 को उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2016 केम्प कोर्ट न्यायालय हाजा में मियाद बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर कर दी गई। जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स द्वारा दिनांक 25.4.79 को खरीदी की गई है, जिसका ना0क0सं0 1524 राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर, अपीलांट्स को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके थे। पूर्व खातेदार (विक्रेता) के विरूद्ध दिनांक 5.6.79 को एक फौजदारी मुकदमा दर्ज था तथा उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 45/79 दर्ज की जाकर न्यायालय में चालान पेश किया गया। उक्त मुकदमा की सुनवाई के दौरान पूर्व खातेदार द्वारा विक्रय की गई भूमि को राजसात के आदेश दिये जाने पर तहसीलदार फलौदी द्वारा इसे राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर दिया। अपीलांटस मुकदमे से पूर्व दिनांक 25.4.79 को उक्त कृषि भूमि खरीद कर चुका था, जिसे तहसीलदार फलौदी द्वारा अपीलांट्स के नाम ना0क0सं0 1524 की कृषि भूमि का विधि विधान व कानून द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों को दरकिनार रखते हुए, अपीलांट्स को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित ना0क0सं0 1529 के द्वारा खातेदारी अधिकार निरस्त कर दिये गये। जबकि मा0 न्यायालय के आदेश के वक्त उक्त भूमि पूर्व खातेदार विष्णु गोपाल के नाम थी ही नही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलांट्स की अपील खारिज कर दी गई। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन प्रकिया के नियम 129 से 136 एवं अपीलांट्स के कब्जा काश्त व वास्तविक तथ्यों को नजर अंदाज किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने तथा अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 1529 को निरस्त फरमाकर, पूर्व ना0क0सं0 1529 को बहाल करने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 1529 मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फलौदी के आदेश क्रमांकः 80 दिनांक 5.9.92 की पालना में राजस्थान सरकार के नाम नामान्तरित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा करीब 21 वर्ष बाद अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण एवं अवलोकन से अपील अपीलांट्स एवं अपीलांट्स का धारा 05 म्याद

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाये जाने से अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर ना0क0सं0 1529 का स्वीकृति आदेश यथावत रखा गया है। जो विधिसम्मत होने से अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2016 निरस्त किया जाकर, उक्त प्रकरण मियाद शुमार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित कराने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर